

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 427]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 अगस्त 2010—श्रावण 26, शक 1932

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2010

क्र. एफ. 35-97-2009-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई सेवाओं में कार्य करने से इन्कार किये जाने का प्रतिषेध किया जाए;

अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इन्कार किये जाने का, दिनांक 17 अगस्त 2010 से तीन माह की अवधि के लिए प्रतिषेध करती है—

अनुसूची

क. वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक, प्रवर्ती (आपरेटिव), अनुसचिवीय, चिकित्सीय तथा स्वास्थ्य व्यक्ति, जो,—

- (1) राज्य के समस्त चिकित्सा, दंत, आयुर्वेद, युनानी तथा होम्योपैथिक महाविद्यालयों तथा उनसे संबद्ध अस्पतालों;
- (2) प्रदेश के सभी स्तरों के समस्त शासकीय चिकित्सालयों / औषधालयों / स्वास्थ्य केन्द्रों / स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों से संबंधित हो.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चंद्रहास दुबे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2010

क्र. एफ. 35-97-2009-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 17 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चंद्रहास दुबे, सचिव.

Bhopal, the 17th August 2010

F. No. 35-97-2009-II-C-1.—WHEREAS the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services specified in the Schedule below ;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Atyavashayak Sewa Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential services specified in the Scheduled with effect from the 17th Aug. 2010 for a period of three months :—

SCHEDULE

A. Scientific, Technical, Executive, Operative, Ministerial, Medical, Health personnel connected with,—

- (1) All the Medical, Dental, Ayurvedic, Unani, Homeopathic Colleges of the State and Hospitals attached thereto ;
- (2) All the Government Hospital / Dispensaries / Health Centers / Health-education institutions at all levels in the State.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CHANDRAHAS DUEBY, Secy.